#2018/00150

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 14/2018

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी अजमेर। ....*प्रार्थी*

बनाम

अशोक सर्विस सेन्टर, शास्त्रीकॉलोनी, रामनगर, अजमेर जरिये
प्रकाश बंजारा पुत्र श्री कैलाश चन्द बंजारा निवासी शास्त्री कॉलोनी, रामनगर, अजमेर।
........*अप्रार्थी*

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित : 1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी — पैरोकार सरकार
2. श्री अशोक शर्मा — अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश **दिनांक 30.05.2018**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार प्रार्थी प्रर्वतन अधिकारी मय प्रर्वतन अधिकारी/निरीक्षक दल द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग एवं एल.पी.जी. सिलेण्डर से अवैध रिफिलिंग रोकने के अभियान के तहत दिनांक 14.03.2018 को शास्त्री कॉलोनी, रामनगर स्थित अशोक सर्विस सेन्टर की जांच किये जाने पर सर्विस सेन्टर पर 4 घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर भण्डारित पाये गये। वरवक्त जांच गैस सिलेण्डरों के संदर्भ में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। सर्विस सेन्टर पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण इनके व्यवसायिक उपयोग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डरों का दुरूपयोग हेतु अवैध रूप से भण्डारण द्रवीकृत पेट्रोलियग गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (ए) 3 (1)(सी) की अवेहलना होने के कारण चारों घरेलु गैस सिलेण्डर कब्जे राज लिये जाकर ख्वाजा गैस सर्विस के कार्मिक प्रकाश चन्द पुत्र पुरण चन्द निवासी रेगर मौहल्ला डिग्गी बाजार, अजमेर को कॉटे से वजन करवाकर आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गये। विवरण सिलेण्डरः–

क0सं0	सिलेण्डर सं0	नाम कम्पनी	G.T.(Kg)	T.W. (Kg)	N.W. (Kg)
1.	905417	एचपीसी घरेलू	29.1	16.1	13.0
2.	035815	एचपीसी घरेलू	20.6	16.1	4.5
3.	173385	आईओसी घरेलू	29.2	15.8	13.4
4	104752	एचपीसी घरेलू	16.0	16.0	Nil

उपरोक्त कब्जेराज लिये गये चारों घरेलू गैस सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के लिए यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज कर नोटिस जारी किऐ गये। अप्रार्थी0 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध वाहनों में अवैध रूप से घरेलु गैस की रिफलिंग किये जाने का व्यवसाय संचालित किये जाने की प्राप्त शिकायत की जॉच प्रार्थी प्रर्वतन अधिकारी एवं निरीक्षक दल के

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

जब्त की गई। मौके पर अप्रार्थी के सर्विस सेन्टर से 4 घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर भण्डारित मिले। बरामद जांच गैस सिलेण्डरों के संदर्भ में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। सर्विस सेन्टर पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण इनके व्यवसायिक उपयोग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डरों का दुरूपयोग हेतु अवैध भण्डारण द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (ए) 3 (1)(सी) की उल्लंघना होने के कारण चारों घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करे।

जवाब में उपस्थित अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि जब्त चार सिलेण्डर हमारे दो घरेलू गैस कनेक्शन पर जारी है। एक कनेक्शन कैलाशचन्द का वृन्दावन गैस एजेन्सी ग्राहक संख्या 8305 एवं दूसरा प्रकाश चन्द देवासा का एस.के.होम एप्लायन्सेस उपभोक्ता क्रमांक 600020 है जिन पर दो दो गैस सिलेण्डर जारी है। अशोक सर्विस सेन्टर की ऊपरी मंजिल पर अप्रार्थी एवं उसके पिता का निवास स्थान है जहां परिवार सहित निवास करते है। ऊपरी मंजिल पर निवास होने के कारण उनको भण्डारण हेतु नीचे सर्विस सेन्टर पर रखना पड़ता है। अप्रार्थी प्रकाश एवं उसके पिता कैलाश जी के नाम कॉमर्शियल एवं घरेलू अलग-अलग लाईट कनेक्शन भी स्वीकृत हुए है। अप्रार्थी द्वारा कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थी के बिना कारण ही अप्रार्थी के घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये है, जब्ती कार्यवाही में अप्रार्थी द्वारा गैस डायरियाँ एवं लाईट बिल इत्यादि रसद विभाग के अधिकारियों के समक्ष पेश किये गये थे किन्तु उनके द्वारा इन दस्तावेजात को रेकार्ड पर लेने से साफ इन्कार कर दिया। प्रार्थी द्वारा इन घरेलू गैस सिलेण्डरों का मौके पर व्यवसायिक दुरूपयोग/अवैध रिफलिंग होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है अतः अप्रार्थी के अकारण जब्त चारों गैस सिलेण्डर अप्रार्थी को दिलवाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

हमने उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। बरामदा जांच मौके पर अप्रार्थी के सर्विस सेन्टर से तीन एच.पी.सी. एवं एक आई.ओ.सी. का कुल 4 घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर भण्डारित मिले तत्समय इन गैस सिलेण्डरों के संदर्भ में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा नोटिस के प्रस्तुत जवाब में भी एच.पी.सी. के जब्त तीन सिलेण्डर बाबत ऐसे कोई आधारभूत कथन, प्रमाणिक दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते हों गैस डायरियों की फोटो स्टेट प्रतियां पेश की गई उसमें एच.पी.सी.एल. सिलेण्डरों की संख्या के बाबत में ओवरराईट किया जाना प्रतीत होता है। सर्विस सेन्टर पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक उपयोग को साबित करता है। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डरों का दुरूपयोग हेतु अवैध भण्डारण द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (ए) 3 (1)(सी) का स्पष्ट उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध भी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा बरामद जब्त किये गये उक्त चारों घरेलू सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डरों की संबंधित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.05.2018 को खुले इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर,
अजमेर